भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2521
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कार्डियक स्टेंट की कीमतों में बढ़ोतरी

2521. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा कार्डियक स्टेंट की अधिकतम कीमत तय करने के बावजूद देश के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को कीमतों में कमी का फायदा नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में स्टेंट की कीमतों में की गई कमी की भरपाई के लिए स्टेंट इम्प्लांटेशन का प्रभार बढ़ा दिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों में स्टेंट और उसके इम्प्लांटेशन के लिए अधिकतम प्रभार तय करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): कोरोनरी स्टेंट [बेयर मेटल स्टेंट (बीएमएस) और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस)] को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और तदनुसार एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इनकी अधिकतम कीमत निर्धारित करता है। बीएमएस की वर्तमान अधिकतम कीमत ₹10,692.69 और डीईएस की ₹38,933.14 है। डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित कीमतें पूरे देश में लागू हैं। स्टेंट के सभी विनिर्माताओं, विपणनकर्ताओं और आयातकों को अपने उत्पादों की बिक्री इस अधिकतम कीमत (प्लस यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर) के भीतर करनी अनिवार्य है। इसके अलावा, एनपीपीए ने दिनांक 12.02.2018 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों जैसे संस्थानों, जो कोरोनरी स्टेंट का उपयोग करके एंजियोप्लास्टी प्रक्रियाएं करते हैं और मरीजों से सीधे बिल लेते हैं, को अधिसूचना में निर्धारित अधिकतम कीमतों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, उक्त अधिसूचना में ऐसे संस्थानों के लिए अपने अनुमान (एस्टीमेट) /प्रोफॉर्मा इन्वॉयस /अंतिम बिलिंग आदि में कोरोनरी स्टेंटों की लागत, इसकी

श्रेणी जैसे बेयर-मेटल स्टेंट (बीएमएस) या ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस), ब्रांड नाम, विनिर्माता/आयातकर्ता का नाम/बैच संख्या/विनिर्देश और अन्य विवरणों का स्पष्ट और पृथक रूप से उल्लेख करने की भी आवश्यकता है।

इसके अलावा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने के मामलों का संज्ञान लेना और ऐसी गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने 'नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010' (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया और इसके अंतर्गत ' नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012' अधिसूचित किए, ताकि मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों जैसे एलोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली (सशस्त्र बलों को छोड़कर) से संबंधित सरकारी और निजी नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान किया जा सके। सीई अधिनियम को अपनाने वाली राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, सीई अधिनियम और इसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने अस्पतालों, जिनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं, को विनियमित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं, ताकि रोगियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके। सीई अधिनियम के अनुसार, सभी नैदानिक संस्थानों (सरकारी और निजी) को सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को पूरा करना अनिवार्य है, और अन्य बातों के साथ-साथ, उनके द्वारा ली जाने वाली दरों को एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक है। सीई अधिनियम ने जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक पंजीकरण प्राधिकरण को इसके प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में दंड लगाने सहित कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया है।
